



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4959 वर्ष 2026

चन्द्र शेखर उर्फ चंद्रशेखर रावत एवं अन्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग,
लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: फारूक अयूब

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

सुश्री मानसी गुप्ता, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थियों के विद्वान् अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 18, बाराबंकी द्वारा वाद संख्या 6838/2010 में दिनांक 15.12.2010 को पारित उस आक्षेपित तलबी आदेश को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ताओं को धारा 419, 420, 467, 468, 406, 471, 504, 506 भा.द.सं. के तहत विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है, साथ ही थाना फतेहपुर, जिला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बाराबंकी के अपराध संख्या 857/2008 में दिनांक 29.08.2009 की आरोप पत्र को भी चुनौती दी गई है।

प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण यह प्राथमिकी प्रार्थियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात, पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। समझौता विलेख को लिखित रूप दिया गया है जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक अभ्यास है क्योंकि विचारण का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और यह प्रार्थियों के उत्पीड़न के समान है, अतः प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

दूसरी ओर, विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया और तर्क दिया कि पक्षों ने दिनांक 04.06.2026 के समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान प्रार्थियों के विरुद्ध विपक्षियों की अब कोई शिकायत नहीं है, अतः प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अब यह तथ्य कि क्या पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता कर लिया है या नहीं, इसका सर्वोत्तम निर्धारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, यह आवेदन संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई समझौता उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात, समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।

ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति देगा और प्रार्थियों के लिए यह खुला होगा कि वे कार्यवाही निरस्त करने हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष आ सकें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 18, बाराबंकी द्वारा वाद संख्या 6838/2010 में दिनांक 15.12.2010 के तलबी आदेश के अनुपालन में शुरू की गई कार्यवाही, वर्तमान प्रार्थियों के संबंध में तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित रहेगी।

विचारण न्यायालय को यह तथ्य परीक्षित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्षकार जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में सम्मिलित हैं और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थियों के अधिवक्ता को मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, उसकी प्रतिलिपि लेने के पश्चात वापस कर दे।

30 जून, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।